संख्या– 3318 /1–10–2019–12(34)/03 टीसी–।

प्रेषक

श्याम मोहन तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
फतेहपुर, वाराणसी, कानपुर नगर, श्रावस्ती, हमीरपुर, बलिया,
महोबा, एटा, अम्बेडकरनगर, बांदा एवं कौशाम्बी।

राजस्व अनभाग–10 लखनऊः दिनांकः 04 जनवरी, 2019

विषय–वर्ष 2018–2019 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित असहाय एवं कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुॅचाने हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2018–2019 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित असहाय एवं कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुॅचाने के लिए धनावंटन हेतु एम0एच0ए0 के पत्र संख्या–32–7/2014– एन0डी0एम0–1, दिनांक 08.04.2015 द्वारा जारी गाईड लाइन के आइटम नं0–3 (क) के प्राविधान–प्रोविजन फार टेम्परोरी एकोमोडेशन, फूड, क्लोथिंग मडीकल केयर, इटीसी फार पीपुल अफेक्टेड इवैकुवेशन, शेल्टर्ड इन रिलीफ कैम्प्स के अनुसार गृह विहीन/निराश्रित/असहाय एवं कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु रू0–2,25,00,000/–की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–2019 में आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

क्रम संख्या	जनपद का नाम पत्रांक व दिनांक	कम्बल क्रय किए जाने हेतु स्वीकृत धनराशि (रूपये में)	अलाव जलाये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि (रूपये में)	जनपद हेतु कुल स्वीकृत धनराशि (रूपये में)
1	2	3	4	5 (3+4)
1	फतेहपुर, पत्रांकः 555, दिनांकः31.12.2018	15,00,000	–	15,00,000

Scanned by CamScanner

2	वाराणसी, पत्रांकः 62, दिनांकः31.12.2018	15,00,000	—	15,00,000
3	कानपुर नगर, पत्रांकः 1317, दिनांकः31.12.2018	20,00,000	2,00,000	22,00,000
4	श्रावस्ती, पत्रांकः 3757 एवं 3758 (दो पत्र) दिनांकः31.12.2018	15,00,000	1,50,000	16,50,000
5	हमीरपुर, पत्रांकः 512, दिनांकः29.12.2018	20,00,000	2,00,000	22,00,000
6	बलिया, पत्रांकः 280, दिनांकः29.12.2018	30,00,000	3,00,000	33,00,000
7	महोबा, पत्रांकः 429, दिनांकः29.12.2018	15,00,000	—	15,00,000
8	एटा, पत्रांकः 3872, दिनांकः29.12.2018	15,00,000	—	15,00,000
9	अम्बेडकरनगर, पत्रांकः 1650, दिनांकः29.12.2018	25,00,000	2,50,000	27,50,000
10	बांदा, पत्रांकः 1401, दिनांकः29.12.2018	25,00,000	2,50,000	27,50,000
11	कौशाम्बी, पत्रांकः 554, दिनांकः28.12.2018	15,00,000	1,50,000	16,50,000
कुल योग		**2,10,00,000**	**15,00,000**	**2,25,00,000**
(रूपये दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र)				

2— उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–2019 के आय व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक **"2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–स्टेट डिजास्टर रिसपांस फण्ड–800–अन्य व्यय–06– स्टेट डिजास्टर रिसपांस फण्ड से व्यय–08–शीतलहरी/पाला हेतु स्टेट डिजास्टर रिसपांस फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय"** के नामे डाला जायेगा।

Scanned by CamScanner

3– शासनादेश संख्या–3271/एक–10–2018–12(34)/03टीसी–1 दिनांक–19–11–2018 में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(श्याम मोहन तिवारी)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम आडिट, प्रयागराज।

2– संबंधित मण्डलायुक्त।

3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0।

4– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।

5– संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।

6– वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–5

7–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम मोहन तिवारी)
उप सचिव।

Scanned by CamScanner